

कार्यालय :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0
पीठासीन अधिकारी – (रूप सिंह कनेल)

मैं रूप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत प्रदत्त शपितयों के तहत रीवा जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में उचित व सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु पूर्व में जारी समर्त आदेशों को निरस्त करते हुए निम्न संशोधित कार्य आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत दिनांक 01-05-2023 से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
01	रूप सिंह कनेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा	सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, चोरहटा, अमहिया एवं यातायात	<p>1. पुलिस थाना सिविल लाईन्स, थाना सिटी कोतवाली, थाना चोरहटा, थाना अमहिया एवं थाना यातायात के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत दाढ़िक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्रों एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. मुख्यालय रीवा होत्र के अंतर्गत उत्पन्न खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>3. रीवा जिला मुख्यालय में आवकारी विभाग द्वारा म0 प्र0 आवकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।</p> <p>4. संपूर्ण रीवा जिला की सीमाओं से संबंधित आवकारी अधिनियम के अंतर्गत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>5. रीवा राजस्व जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं परिवहन विभाग से उद्भूत मोटर यान अधिरो के <u>ओवरलोड</u> के प्रकरण</p> <p>6. मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं पदस्थापना अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।</p> <p>7. रीवा जिला मुख्यालय के बन विभाग द्वारा</p>

(2)

			<p>प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, श्रम विभाग, नापतौल विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>8. तेजाव (एसिड) से कारित किए जाने वाले संपूर्ण रीवा जिले की रीमाओं के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।</p> <p>9. मेन्टल हेल्थ एक्ट 2017 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>10. अन्य ऐसे सभी प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख इस कार्य विभाजन में नहीं है।</p>
02	श्रीमती नीलिमा देवदत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रिसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रीवा	-	<p>1. किशोर न्याय बोर्ड रीवा के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण व कार्य।</p> <p>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
03	श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	समान	<p>1. पुलिस थाना समान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना समान के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना समान के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्काटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
04	श्री देव दत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	बिछिया,	<p>1. पुलिस थाना बिछिया के क्षेत्राधिकारिता वाले थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना बिछिया एवं सिटी कोतवाली</p>

(3)

			<p>के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना बिछिया एवं सिटी कोतवाली के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त समर्त सांप्रिक प्रकरण।</p>
05	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजस्व तहसील रीवा	राजस्व तहसील रीवा	
06	श्री अक्षत तथाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा श्रीमती	-	<p>1. पुलिस थाना सिटी कोतवाली, बिछिया, गोविंदगढ़ के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेट एवं सेटेलमेट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।</p> <p>2. पुलिस थाना चोरहटा के अंतर्गत उत्पन्न क्षेत्राधिकारिता वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना चोरहटा के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त समर्त सांप्रिक प्रकरण।</p>
07	श्रीमती पद्मिनी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	-	<p>1. पुलिस थाना विश्वविद्यालय, चोरहटा एवं अमहिया के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेट एवं सेटेलमेट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।</p> <p>2. पुलिस थाना अमहिया के अंतर्गत उत्पन्न क्षेत्राधिकारिता वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा</p>

(4)

			156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।
08	श्री सचिन साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	मनगवां	<p>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>1. पुलिस थाना मनगवां के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकारिता वाले दांडिक प्रकरण।</p> <p>2. पुलिस थाना मनगवां अंतर्गत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र एवं धारा 138 एन आई एक्ट के परिवाद पत्र एवं पेमेट एवं सेटेलमेट एक्ट 2007 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनकी अनुशासिक कार्यवाहियां।</p> <p>3. थाना मनगवां अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत आपराधिक प्रकरण एवं दांडिक परिवाद प्रकरण व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र।</p> <p>4. थाना मनगवां अंतर्गत धारा 125, 126, 127 दण्ड प्रक्रिया संहित के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं अनुशासिक कार्यवाहियां (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।</p> <p>5. पुलिस थाना मनगवां के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रकरणों में नौकोटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
09	श्री ललित कुमार मईडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	सगरा	<p>1. पुलिस थाना सगरा के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन० आई० एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना सगरा एवं थाना सिविल लाईन अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना सगरा एवं सिविल लाईन के</p>

(5)

		<p>अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>	
10	सुश्री अंजली अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुड़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय	<p>1. पुलिस थाना सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुड़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों वाले समस्त प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर।)</p> <p>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
11	श्री अमित सिंह घुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	-	1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।
12	सुश्री अदिति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	-	<p>1. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियान, गुड़ एवं सिविल लाईन के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।</p> <p>2. पुलिस थाना अमहिया के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
13	सुश्री स्वाति रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	महिला थाना, थाना सिविल लाईन, चोरहटा, समान, बिठिया, सगरा,	<p>1. पुलिस थाना महिला जिला रीवा के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकार वाले दांडिक प्रकरण। (धारा 138 एन० आई० एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p>



		<p>2. पुलिस थाना महिला, सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों वाले समस्त प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र, दैरेलू हिंसा रो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय ७ के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर।)</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
14	सुश्री चेतना झारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	<p>1. पुलिस थाना समान एवं सगरा के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन० आई० एकट एवं पैमेंट एवं सेटेलमेंट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशासिक कार्यवाहियाँ।</p> <p>2. रीवा जिला मुख्यालय के अंतर्गत रिक्त न्यायालय के धारा 138 एन आई एकट के प्रकरण एवं अनुशासिक कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
15	श्री संजीव रहांगड़ाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	<p>रायपुर कर्चुलियांन, गोविन्दगढ़ एवं जी०आर०पी०</p> <p>1. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियांन, गोविन्दगढ़ एवं जी०आर०पी० के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन० आई० एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियांन, गोविन्दगढ़ एवं जी.आर.पी. अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियांन, गोविन्दगढ़ एवं जी.आर.पी. के अंतर्गत उद्भूत एन०ड०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम ०८ व ०९ के तहत</p>

(7)

			कार्यवाही संपन्न करेंगे।
16	श्रीमती मीनल गजबीर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	गुड़	<p>4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p> <p>1. पुलिस थाना गुड़ के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना गुड़ अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना गुड़ के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्कॉटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
17	श्री अजय नागेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	विश्वविद्यालय	<p>1. पुलिस थाना विश्वविद्यालय के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्कॉटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
तहसील मऊगंज			
1.	श्री साजिद मोहम्मद	मऊगंज	1. पुलिस थाना मऊगंज के थाना क्षेत्र के

<p>न्यायिक मणिस्ट्रोट प्रथम श्रेणी</p>	<p>क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत दाढ़िक प्रकरण।</p> <p>2. थाना मऊगंज की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सोटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. आबकारी वृत्त मऊगंज के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>4. तहसील मऊगंज अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना मऊगंज अंतर्गत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>6. तहसील मऊगंज के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना मऊगंज के क्षेत्राधिकार से संबंधित उद्भूत धारा 125, 126, 127 दंप्र. सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित दाढ़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>8. पुलिस थाना मऊगंज अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>9. पुलिस थाना मऊगंज के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नौकरीटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाढ़िक प्रकरण।</p>
---	--

2.	श्री राहुल नामदेव न्यायिक मजिस्ट्रेट पटना थेटी	थाना गढ़ मऊगंज तहसील की रीमा से संबंधित	<p>1. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण।</p> <p>2. थाना थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) की रीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एकट एवं पेमेट एण्ड सेटेलमेट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) की क्षेत्र रीमा से उत्पन्न धारा 125, 126, 127 दंप्रसं एवं परेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं याम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>5. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>6. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के अंतर्गत उद्गृह एन0टी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉकोटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सब्स्टाटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही रापन करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत परेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण।</p>
----	--	---	--

(10)

			8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।
3.	श्री आशीष मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम थेनी	थाना नईगढ़ी	<p>1. पुलिस थाना नईगढ़ी के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।</p> <p>2. थाना थाना नईगढ़ी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना नईगढ़ी अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित दांडिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना नईगढ़ी अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०स० के आवेदन पत्र।</p> <p>5. थाना नईगढ़ी से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>6. पुलिस थाना नईगढ़ी के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्काटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना नईगढ़ी अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. तहसील मचंगज के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य।</p> <p>9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
4.	श्रीमती गीता उडके न्यायिक मजिस्ट्रेट	थाना लौर	<p>1. पुलिस थाना लौर के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।</p>

	प्रथम श्रेणी	<p>2. थाना थाना लौर की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>3. पुलिस थाना लौर अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्रसं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम—2005 से संबंधित दाण्डक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना लौर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र ।</p> <p>5. पुलिस थाना लौर से प्रस्तुत आबकारी अदि नियम के अंतर्गत प्रकरण परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर</p> <p>6. पुलिस थाना लौर के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्कॉटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे ।</p> <p>7. पुलिस थाना लौर अंतर्गत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डक प्रकरण ।</p>
तहसील सिरमौर		
1. श्री हीरालाल अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	सिरमौर	1. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाण्डक प्रकरण । परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर ।

2. पुलिस थाना सिरमौर का सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।

3. थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।

4. आबकारी वृत्त सिरमौर के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।

5. तहसील सिरमौर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।

6. तहसील सिरमौर के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।

7. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)

8. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्काटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।

9. पुलिस थाना सिरमौर अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006.

10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।

2. श्रीमती नेहा रहमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	<p>1. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०स० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्काइटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
3. श्री अल्तमश रहमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	बैकुण्ठपुर	<p>1. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से</p>

			अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।
			<p>2. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना बैकुण्ठपुर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पैमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस बैकुण्ठपुर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दांडिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. तहसील सिरमौर के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुशासिक कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक झग्ग एवं साईंकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
4.	श्री अमित कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	सेमरिया	<p>1. पुलिस सेमरिया थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। परंतु आदकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना सेमरिया के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p>

		<p>3. पुलिस थाना सेमरिया के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेट एण्ड सेटेलमेट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस सेमरिया के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दांडिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना सेमरिया के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना सेमरिया क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
--	--	---

तहसील त्योथर

1.	सुश्री वंदना सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योथर	सोहागी, चाकघाट, जनेह,	<p>1. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। परंतु आवकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०स० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना जनेह, सोहागी, एवं चाकघाट के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेट एण्ड सेटेलमेट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p>
----	---	-----------------------------	---

		<p>4. आबकारी वृत्त त्योंथर/चाकघाट के आबकारी अधिनियम अंतर्गत उद्भूत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>5. तहसील त्योंथर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।</p> <p>6. तहसील त्योंथर के अंतर्गत वन विमाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं. एवं दरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दांपिङ प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>8. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कॉटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>9. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांपिङ प्रकरण।</p>	
2.	सुश्री मोहिनी भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योंथर	पनवार, जवा, अतरैला	<p>1. पुलिस थाना पनवार, जवा एवं अतरैला थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांपिङ प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना पनवार, जवा एवं अतरैला के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p>

		<p>3. थाना पनवार, जवा एवं अतरैला के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>4. पुलिस थाना पनवार, जवा एवं अतरैला के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्रसं एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाइडिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना पनवार, जवा एवं अतरैला के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्स्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे ।</p> <p>6. पुलिस थाना पनवार, जवा एवं अतरैला क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत माध्यमिक अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर ग्राम समस्त दाइडिक प्रकरण ।</p>
3.	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	<p>झमौरा एवं गढ़ थाना के तहसील त्योथर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हेतु</p> <p>1. पुलिस थाना झमौरा एवं गढ़ थाना के तहसील त्योथर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाइडिक प्रकरण । परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर ।</p> <p>2. पुलिस थाना झमौरा एवं गढ़ थाना के तहसील त्योथर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०स० के आवेदन पत्र ।</p> <p>3. थाना झमौरा एवं गढ़ थाना के तहसील त्योथर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण ।</p>

		<p>4. पुलिस थाना डमौरा एवं गढ़ थाना के तहसील त्योथर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्रसं एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाइडक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना डमौरा एवं गढ़ के तहसील त्योथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही सपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना डमौरा एवं गढ़ के तहसील त्योथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाइडक प्रकरण।</p>
--	--	---

तहसील हनुमना

1.	श्री विनोद कुमार चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	हनुमना <ul style="list-style-type: none"> 1. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाइडक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर। 2. थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेंटेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण। 3. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्रसं एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाइडक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को
----	---	--

		छोड़कर)	
		<p>4. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>5. तहसील हनुमना के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना हनुमना के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोटोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना हनुमना के अंतर्गत उद्भूत मापत्तील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>	
2.	श्रीमती कीर्ति दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हनुमना	शाहपुर	<p>1. पुलिस थाना शाहपुर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. थाना शाहपुर की सीमा के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन०आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द०प्र०सं० एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दांडिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p>

5. पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत उद्भूत एनोडी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरण में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोट्रोफिक सम्पर्कन्या नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।

6. पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्ययुक्ता एवं मानक अधिनियम 2006,

7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।

आवश्यक निर्देश :-

- इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अविसूचना के द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
- आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य, धारा 436 एवं धारा 437 द.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन एवं धारा 451, 457 द.प्र.सं के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण, प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दौषसिद्ध का अभिवाक् करता है, तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से संशोधित है वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।
- समस्त जे.एम.एफ.सी यदि धारा 167(2) द.प्र.सं के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।
- पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के सबंध में माननीय रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालय से संबंधित हैं, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आस्थी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी।
- ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित हैं तथा यदि

प्रकरण अग्रिमेखागार में हैं, तब ऐसे मजिस्ट्रेट के हारा किया जावेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है। धारा 138 एन.आई.ए एकट से संबंधित गिरफ्तारी वारंट उनके विशेष न्यायालय के समक्ष ही थाना क्षेत्र के हिसाब से अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे। यदि रखाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है तब उससे संबंधित कार्यवाही उसी न्यायालय हारा की जायेगी।

6. रिवत न्यायालय की अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त संबंधित कार्यवाही जिसमें थाना रखट नहीं हो रहा हो के संबंध में रीवा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रथमतः श्री अजय नागेश तत्पश्चात द्वितीयतः श्री ललित कुमार माईड़ा हारा संपादित की जावेगी।

7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा डाइविंग लाईसेंस परमिट या अन्य दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रतियां सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

8. मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1966 की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रीवा/सिरमौर के हारा ही लिया जावेगा।

9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें समरी पावर प्राप्त है वह अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगा सकेंगे। जिसकी पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों हेतु लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय के नियमित संपादन का कार्य प्रभावित न हो।

10. लंबित रिमाण्ड पेपर्स से संबंधित अभियोग—पत्र उन्हीं न्यायालय में पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्यविभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकारी दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देकर तथा आवश्यक होने पर ई—मेल फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय हारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।

13. धारा 340 दप्रसं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा के समस्त परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

14. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों में परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लिखित हैं तथा जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।
15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बाबजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा जिले में किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य किसी विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होगे।
16. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अंडर द्वायल अथवा 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या व्यवकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी व्यवकारी या असुविधाजनक की स्थिति में ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत अंतरित किये गये समझे जायेगे।
17. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड डयूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी पृष्ठांकन क्रमांक ३ी-2495 जबलपुर दिनांक 10.04.2019 के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध आरोपियों के संबंध में साक्ष्य/आरोप पत्र विरचना/आरोपी कथन से संबंधित कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर वीडियो काफेसिंग के माध्यम से करावे।
19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1-क) के अंतर्गत केन्द्रीय कारागार रीवा से व आरक्षी केन्द्र से संबंधित मृतक बंदीयों की मृत्यु के कारण की जांच उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिसको अनुलग्न सूची से अनुसार मासिक प्रभार दिया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या मुख्यालाय से बाहर होने की दशा में अनुलग्न-अ अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट जांच कार्यवाही करेंगे।
20. धारा 176 (1-क) द.प्र.सं के अंतर्गत मृतक बंदीयों की न्यायिक जांच के संबंध में अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार रीवा से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जावेगा।
21. रिमाण्ड, डयूटी, की.सी धारा 164 द.प्र.सं के कथन एवं धारा 176 (1-क) द.प्र.सं के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहते हैं या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर आये नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिवत होने की

दशा में प्रभार अनुलग्न-अ के अनुसार रहेगा एवं विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

22. तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 176 द.प्र.सं के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

23. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावे जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर हों।

24. अनुलग्न कमांक अ, ब एवं स कार्य विभाजन पत्रक के ही अंग होंगे।

25. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने न्यायालय के अंतर्गत थाने से उद्भूत खात्मा से संबंधित मामलों में सुनवाई करेंगे।

26. किसी भी आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पूरक चालान उसी न्यायालय में पेश किए जाएंगे जिस न्यायालय में मूल अभियोगपत्र पेश किया गया अथवा विचाराधीन है, चाहे पूरक चालान पेश करते समय उस न्यायालय का उस थाने पर क्षेत्राधिकार नहीं हो।

27. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को संदर्भित किया जावेगा।

रीवा, दिनांक २३-५-२३

(रूप सिंह कनेल) २३-५-२३
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 रीवा (मौजूद)

"अनुलग्न-अ"

श्री रूप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा	श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती नीलिमा देवदत्त, प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड रीवा	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड
श्री देवदत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अजय नागेश जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईड़ा जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती प्रीति शिखा	श्री देव दत्त	श्री अजय नागेश

अग्निहोत्री सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	जे.एम.एफ.सी. रीवा	जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती पदमिनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अदिति अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अक्षत तयाल जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री सचिन साहू जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अजय नागेश जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईडा, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती पदमिनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री स्वाति रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती भीनल गजबीर जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अक्षत तयाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अदिति अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री अंजली अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री स्वाति रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री ललित कुमार मईडा जे०एम०एफ०सी० रीवा	श्री अजय नागेश जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती भीनल गजबीर जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री अदिति अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती पदमिनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री अमित सिंह धुर्वे, जे.एम.एस.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईडा, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती भीनल गजबीर जे०एम०एफ०सी० रीवा
श्री संजीव राहंगडाले जे.एम.एस.सी. रीवा	सुश्री अंजली अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईडा जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती भीनल गजबीर जे.एम.एस.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईडा, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री स्वाति रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री अजय नागेश, जे.एम.एस.सी. रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अंजली अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० रीवा

त्रहसील मऊगंज

श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्रीमती गीता उइके, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री आशीष मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्रीमती गीता उइके, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री आशीष मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री राहुल नामदेव, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज

श्री आशीष मिश्रा जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री राहुल नामदेव जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्री राहुल नामदेव जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्रीमती गीता उडके, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज

तहसील सिरमौर

श्री हीरालाल अलावा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अल्तमश रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अमित कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्रीमती नेहा रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री हीरालाल अलावा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अल्तमश रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्री अल्तमश रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अमित कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती नेहा रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्री अमित कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती नेहा रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री हीरालाल अलावा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर

तहसील त्योथर

सुश्री वंदना सोनी, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी.त्योथर	सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,
सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी.त्योथर	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,
श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी.त्योथर

तहसील हनुमना

श्री विनोद कुमार चौधरी, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री आशीष मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री विनोद कुमार चौधरी, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री राहुल नामदेव, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज

नोट:- न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में उसकी अनुपस्थिति में "अनुलग्न-आ" के अनुसार स्तम्भ क्रमांक 1 अथवा 2 में दर्शाये मजिस्ट्रेट द्वारा उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित किया जायेगा तथा स्तम्भ क्र0-01 व स्तम्भ क्र0-02 में दर्शाये मजिस्ट्रेट भी अनुपस्थित रहते हैं तो वहाँ पर उपरिथित न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को संपादित करेंगे। यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय का कार्य संपादित करने के दिनांक को उनका कार्यभार देखने वाले न्यायिक

मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो ग्राम न्यायाधिकारी अपने नियमित न्यायालय का कार्य भी संपादित कर सकते हैं।

अनुलग्न "ब"
(धारा 164 द.प्र.स. से संबंधित आवेदन)

क	आरक्षी केन्द्र	स्तम्भ क्रमांक-1	स्तम्भ क्रमांक-2
1	सिविल लाइन एवं सगरा	श्री अजय नागेश, जे०एम०एफ०सी० रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा
2	बिछिया	श्री ललित कुमार मईड़ा जे०एम०एफ०सी० रीवा	श्रीमती पद्मिनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा
3	चोरहटा	श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईड़ा जे०एम०एफ०सी० रीवा
4	अमहिया	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. रीवा
5	समान	श्रीमती मीनल गजबीर जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अजय नागेश जे०एम०एफ०सी० रीवा
6	मनगयां	श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अदिति अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.रीवा
7	गोविन्दगढ़	सुश्री चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा
8	जी०आर०पी०	श्री अमित सिंह धुर्वे जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती मीनल गजबीर जे.एम.एफ.सी. रीवा
9	हरिजन कल्याण, सिटी कोतवाली एवं गुड़	श्रीमती पद्मिनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री सचिन साहू जे.एम.एफ.सी.रीवा
10	विश्वविद्यालय	सुश्री अदिति अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अमित सिंह धुर्वे जे.एम.एफ.सी. रीवा
11	महिला थाना, थाना सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा के महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित	सुश्री अंजली अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अजय नागेश, जे.एम.एस.सी. रीवा

विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित			
12	सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुढ़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्य लय के महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित	सुश्री रवाति रघुवंशी, जे.एम.एफ.सी.रीवा	श्री ललित कुमार मईडा, जे.एम.एफ.सी.० रीवा
13	रायपुर कर्चुलियान	श्री सचिन साहू जे.एम.एफ.सी.रीवा	सुश्री चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा
14	सिरमौर, गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	श्री अल्तमश रहमान, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
15	बैकुण्ठपुर,	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती नेहा रहमान, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
16	सेमरिया	श्रीमती नेहा रहमान, जे.एम.एफ.सी.सिरमौर	श्री अल्तमश रहमान, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
17	सोहागी, चाकघाट एवं जनेह	सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम.एफ.सी.त्योथर	श्रीमती रचना अतुलकर जे.एम.एफ.सी त्योथर
18	पनवार जवा एवं अतरैला	श्रीमती रचना अतुलकर जे.एम.एफ.सी त्योथर	सुश्री बंदना सोनी जे.एम.एफ.सी त्योथर
19	डम्भेरा एवं गढ़ तहसील त्योथर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	सुश्री बंदना सोनी जे.एम.एफ.सी त्योथर	सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम. एफ.सी.त्योथर
20	लौर एवं गढ़ (तहसील मऊगंज की सीमा के अन्तर्गत)	श्री आशीष मिश्रा जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद, जे.एम. एफ.सी मऊगंज
21	नईगढ़ी एवं मऊगंज	श्रीमती गीता उर्झके जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री आशीष मिश्रा जे.एम.एफ.सी. मऊगंज

22	हनुमना	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम. एफ.सी हनुमना	श्री राहुल नामदेव जे.एम. एफ.सी मऊगंज
23	शाहपुर	श्री विनोद कुमार चौधरी जे.एम. एफ.सी हनुमना	श्री राहुल नामदेव, जे.एम. एफ.सी मऊगंज

नोट:-

- धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत लिए गए कथन की एक प्रति तत्काल संबंधित थाना से उपरिथित विवेचक को उपलब्ध कराई जाये।
- स्तम्भ कमांक 1 की अनुपरिथिति में स्तम्भ कमांक 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे एवं उनकी भी अनुपरिथिति में कार्यविभाजन अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।

अनुलग्न "स"
(धारा 176 द.प्र.स. से संबंधित मृत्यु जांच के लिए)

क्र.	जांचकर्ता न्यायिक अधिकारी	माह
	श्री सचिन साह जे.एम.एफ.सी. रीवा	अप्रैल-2023
	श्री अमित सिंह धुर्वे जे.एम.एफ.सी. रीवा	मई-2023
	सुश्री अंजली अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	जून-2023
	सुश्री अदिति अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	जुलाई-2023
	श्री अक्षत तयाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	अगस्त-2023
	सुश्री चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	सितम्बर-2023
	श्रीमती पदमिनी सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा	अक्टूबर-2023
	श्री अजय नागेश जे.एम.एफ.सी. रीवा	नवंबर-2023
	श्री ललित कुमार मईड़ा जे.एम.एफ.सी. रीवा	दिसंबर-2023

नोट:- उपरोक्त की अनुपरिथिति में कार्यविभाजन आदेशानुसार कार्य संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु जांच से संबंधित आवश्यक कार्यवाही संपादित की जायेगी।

अनुग्रहित रीवा, दिनांक- २३.०४.२०२३

(सुचेत कुमार जैन)
 प्रधान विलास एवं सत्र न्यायाधीश
 रीवा (म०प्र०)

(लूप सिंह कनल)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 रीवा (म०प्र०) १०५२

पृ.क./ ३५ /स्टेनो/ 2023

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा को अनुमोदनार्थ एवं
अवलोकनाथ सादर प्रेषित।—

रीवा दिनांक २७.०४.२०२३

1. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक),
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
3. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश / ए.एस.जे. रीवा।
4. श्री ए.सी.जे.एम. / जे.एम.एफ.सी / जे.एम.एफ.सी /
5. रीवा / त्योथर / सिरमौर / मऊगंज / हनुमना।
6. जिला दण्डाधिकारी रीवा।
7. आयुक्त, नगरपालिक निगम रीवा।
8. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित
कराये जाने हेतु प्रेषित।
9. डी.एफ.ओ.(जिला वन अधिकारी) रीवा।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा।
11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा (म.प्र.)।
12. जिला आबकारी अधिकारी, रीवा की ओर संबंधित आबकारी निरीक्षकों को
सूचित कराने हेतु प्रेषित।
13. जिला खाद्य अधिकारी, रीवा।
14. निरीक्षक, नाप तौल विभाग, रीवा।
15. औषधि निरीक्षक, रीवा।
16. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / त्योथर / सिरमौर / मऊगंज / हनुमना
जिला—रीवा।

(लला सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)